छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

कार्य-परिषद् की बैठक दिनांक ३०/०३/२००० को अपरान्ह ३ बजे विश्वविद्यालय के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :---

१.	प्रो० के०बी०पाण्डेय	*कुलपति*	अध्यक्ष
२.	डा० ई०एच०कुरैशी	*अधिष्ठाता, आयुर्वेदिक यूनानी संकाय*	सदस्य
३.	प्रो० एल०सी०मिश्र	*आचार्य, जीवन विज्ञान संकाय, सीएसजेएम विश्वविद्यालय*	सदस्य
४.	डा०(श्रीमती) मृदुला भदौरिया	*उपाचार्य, शिक्षा विभाग, सीएसजेएम विश्वविद्यालय*	सदस्य
५.	डा० आर०बी०चतुर्वेदी	*प्राचार्य, पीएसएम कालेज, कन्नौज*	सदस्य
६.	डा० निरंजन सिंह	*प्राचार्य, ब्रह्मावर्त डिग्री कालेज, मन्धना*	सदस्य
७.	डा० ब्रह्मवीर निषाद	*प्राचार्य, भीमराव अम्बेदकर महाविद्यालय, उंचाहार*	सदस्य
८.	डा० सरोज बहादुर सक्सेना	*भूगोल विभाग, डी०ए०वी०कालेज, कानपुर*	सदस्य
९.	डा० देवर्षि शर्मा	*अंग्रेजी विभाग, डी०ए०वी० कालेज, कानपुर*	सदस्य
१०.	श्री जे०एन०रैना	*वित्त अधिकारी*	पदेन सदस्य
११.	श्री वी०के०पाण्डेय	*कुलसचिव*	सचिव

कार्यविवरण

सर्व प्रथम माननीय कुलपति जी ने उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया।

कार्य परिषद ने विचारणीय मदों पर निम्नलिखित निर्णय लिया --

१. कार्य परिषद की विगत बैठक दिनांक १०/०३/२००० के कार्यवृत्त की पुष्टि पर विचार --

कार्य परिषद ने अपनी विगत बैठक दिनांक १०/०३/२००० में लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन से अवगत होने पर सर्व सम्मति से उनके कार्यवृत्त का अनुमोदन किया।

२. दिनांक २३-०३-२००० को सम्पन्न वित्त समिति की बैठक की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार-

दिनांक २३-०३-२००० को लखनऊ में सम्पन्न वित्त समिति की बैठक द्वारा की गयी संस्तुतियों को कार्य परिषद के पटल पर प्रस्तुत किया गया जिसे कार्य परिषद ने सर्व सम्मति से अनुमोदित किया।

३. विश्वविद्यालय की पुरानी एवं निष्प्रयोज्य एक जीप एवं कार के निस्तारण पर विचार -

३(क) अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्ताव आया कि विश्वविद्यालय की पुरानी एवं निष्प्रयोज्य जीप सं० यू०पी०-१२-बी-६०६७ तथा कार संख्या यू०एच०जे०-१३३६ का निस्तारण कर दिया जाय, जिसे कार्य परिषद ने सर्व सम्मति से स्वीकृति प्रदान की।

३(ख) श्री अब्दुल गनी खाँ कनिष्ठ सहायक के असाधारण अवकाश प्रकरण पर विचार -

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से श्री अब्दुल गनी खाँ का प्रार्थना पत्र जो दिनांक [illegible] के असाधारण अवकाश के सम्बन्ध में है, कार्य परिषद पटल पर प्रस्तुत किया गया। कार्य परिषद को यह अवगत कराया गया कि श्री खान दिनांक २१-०६-९४ से लगातार असाधारण अवकाश पर हैं जबकि नियमानुसार अधिकतम पाँच वर्ष तक ही असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

उपरोक्त प्रकरण में कार्य परिषद ने निर्णय लिया कि श्री खान को असाधारण अवकाश की अवधि वर्तमान में पाँच वर्ष से अधिक हो चुकी है, उन्हें अब और अवकाश प्रदान किया जाना सम्भव नहीं है। अतः श्री खान को पत्र के माध्यम से दिनांक ३०-०४-२००० तक कार्य भार ग्रहण करने हेतु निर्देशित किया जाय। उक्त अवधि में कार्य भार ग्रहण न करने की स्थिति में सेवायें स्वतः समाप्त हो जायेंगी।

1. विद्वत परिषद् की सम्पन्न बैठक दिनांक 27 अगस्त, 2000 में लिए गए निर्णयों के अनुमोदन पर विचार।

कार्य परिषद् पटल पर प्रस्तुत विद्वत परिषद् में लिए गए सभी निर्णय जो मद संख्या 2 से 8 में दिये गए हैं, कार्य परिषद् ने सर्व सम्मति से अनुमोदित करते हुए स्नातक स्तर के 11 समान पाठ्यक्रमों को वर्तमान सत्र से लागू करने का निर्णय लिया।

2. अनुशासन समिति के गठन पर विचार

राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 8.01(1) में दिये गए प्राविधानानुसार कार्य परिषद् ने सर्व सम्मति से अनुशासन समिति का गठन कुलपति के अतिरिक्त दो सदस्यों को नामित करते हुए निम्नानुसार किया-

- कुलपति
- डा0 आर0के0 गुप्त - डीन, चिकित्सा संकाय एवं प्राचार्य, जीएसवीएम मेडिकल कालेज, कानपुर
- प्रो0 एल0सी0 मिश्रा - डीन, जीव विज्ञान, सीएसजेएम विश्वविद्यालय, कानपुर

3.क महाविद्यालयों में छात्र अनुशासन सुनिश्चित करने पर विचार

विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने एवं छात्र अनुशासन सुनिश्चित करने हेतु शासनादेश संख्या 2311/सत्तर/1-15(2)/194 दिनांक 21 जनवरी, 2000 तथा शासनादेश संख्या 1505-सत्तर-1-2000-15/791/99 दिनांक 11 अगस्त, 2000 द्वारा प्राप्त दिशा निर्देशों को विश्वविद्यालय परिनियम में यथा स्थान सम्मिलित कर लिया गया है जिससे कार्य परिषद् को संसूचित किया गया और कार्य परिषद् ने सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।

3.ख विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में रैगिंग को प्रतिबन्धित किये जाने पर विचार -

विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में रैगिंग को प्रतिबन्धित करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन उच्च शिक्षा अनुभाग-1 पत्रांक 160/सत्तर-1-2000 दिनांक 19 अगस्त, 2000 में दिये गये निर्देशों को विश्वविद्यालय परिनियम में शामिल कर लिया गया है, जिससे कार्यपरिषद् को संसूचित किया गया, तथा कार्य परिषद् ने सर्व सम्मति से अनुमोदन किया ।

अन्त में कुलपति जी को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई ।